

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज 0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 54/2018

-: प्रार्थीगण :-

बनाम

-: अप्रार्थीगण :-

1. गुदड़राम पुत्र लाला
2. रामरख पुत्र लाला
3. कोयलीदेवी पत्नि नारायण
4. धारूराम पुत्र नारायण
5. अमराराम पुत्र नारायण
6. सोहन पुत्र नारायण
7. हाथीराम पुत्र हरदीन फौत
के कायम मुकाम :-

1. हल्का पटवारी
आ0कालू-प्रथम
तह.-जैतारण, जिला-पाली
2. तहसीलदार, जैतारण
तह.-जैतारण, जिला-पाली

7/1 मदनलाल पुत्र हाथीराम

8. शिवदान पुत्र हरदीनराम
9. हापूराम पुत्र हरदीनराम
10. तुलसाराम पुत्र खेमराम
11. गीतादेवी पत्नि खेमराम
12. भैराराम पुत्र बचनाराम
13. घेवरराम पुत्र बचनाराम
जातियान-माली, निवासी-लिलरिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजु: 13/03/2018

- उपस्थित: 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 15/06/2018


वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ0कालू-प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 27-07 बीघा किस्म चाही सोयम की आई हुई हैं। जो प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काशत की भूमि हैं एवं मौके पर प्रार्थीगण का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काशत व हक अधिकार भी हैं। नकल चालू जमाबन्दी व नक्शा असल सीट की प्रति इस कार्यवाही के साथ पेश की हैं। प्रार्थीगण की इस खसरा नम्बर 37 के चिपते हुये ही रामधड़ा से ग्राम - आकोदिया की ओर जाने वाला रास्ता स्थित हैं, जो राजस्व रेकॉर्ड में पगडण्डीयां तथा रास्ते के रूप में खसरा नम्बर 29 रकबा 07 बीघा 12 बिस्वा की भूमि के रूप में दर्ज हैं। जिसकी जमाबन्दी व नक्शा ट्रेष भी इस कार्यवाही के साथ पेश की हैं। प्रार्थीगण मौके पर अपनी खातेदारी सुदा भूमि पर ही काबिज हैं एवं प्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। खसरा नम्बर 29 गै0मु0रास्ता

**उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)**

मौके पर पृथक से स्थित हैं व उसके दूसरी तरफ अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमियां आई हुई हैं। उक्त दूसरे तरफ के खातेदारों ने रास्ते पर अतिक्रमण करते हुये मूल रास्ते को प्रार्थीगण की कृषि भूमि की तरफ आगे बढ़ा दिया है एवं इसमें हल्का पटवारी - आ०कालू-प्रथम की भी बदनियती रही है। इस भूमि के बाबत् प्रार्थीगण ने पूर्व में हल्का पटवारी से पैमाईश हेतु निवेदन किया, तो हल्का पटवारी आ०कालू ने प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 27-07 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि की पैमाईश किये बिना ही प्रार्थीगण को रास्ते पर अतिक्रमी होना बता दिया है। जबकि वास्तविक में प्रार्थीगण ने मौके पर अपने पूर्वजों के समय से कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं हल्का पटवारी आ०कालू-प्रथम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही कतई गलत व बदनियतीपूर्वक है एवं अड़ौस-पड़ौस के खातेदार भी सही व उचित सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थीगण से विवाद कर रहे हैं। जबकि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का माफिक राजस्व रेकर्ड के अनुसार सीमाज्ञान करवाकर मौके पर पत्थरगढ़ी व नेख्रमबन्दी करवाने के अधिकारी हैं। कारण कि पड़ौसी खातेदार जानबुझकर प्रार्थीगण की भूमि को हड़प करने की नियत से आये दिन वाद विवाद व दखलन्दाजी कर सीमा विवाद करते हैं। यदि अप्रार्थीगण इस प्रकार यदि प्रार्थीगण की मेडबन्दी को हटाकर सीमा विवाद करेंगे एवं मौके पर पत्थरगढ़ी नहीं करने देगे, तो प्रार्थीगण को अपनी आराजी में काश्त करने में कठिनाईयां एवं दिक्कतें होगी। इस प्रकार से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र मौके पर कराने सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी एवं माठ कायम कराने का श्रीमान के समक्ष बहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण के सादर पेश किया है। प्रार्थना पत्र माफिक न्याय शूल्क पर पेश किया है एवं श्रीमान् श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-कापेचा में पेश हुई। अप्रार्थीगण तहसीलदार जैतारण एवं भू०अ०निरीक्षक द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि रूबरू वादीगण एवं मौतबिरान मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि वादीगण की खसरा नम्बर 37 रकबा 27-07 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि वर्तमान में खाली पड़ी है। उक्त खसरा नम्बर 37 की उत्तरी मेड़ से लगता हुआ ही खसरा नम्बर 29 की गै०मु०रास्ता भूमि है। मौके पर उपस्थित वादीगण से पूछताछ (पूर्व में पैमाईश बाबत) करने पर बताया गया कि पूर्व में रास्ता खसरा नम्बर 29 की भूमि विवाद बाबत् सिर्फ रास्ता सीमांकन हेतु पैमाईश हल्का पटवारी द्वारा की गई। परन्तु अब हम हमारी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 37 की चारों ओर का सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। चूंकि वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 27-07 बीघा किस्म चाही सोयम के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करवाने बाबत माननीय न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है। जिसके अनुसार मौके पर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कार्य किया जाता है तो किसी को कोई उज्र / आपत्ति नहीं होना बताया। अतः सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात तथा जमाबन्दी, फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जाकर बहस


उपस्थित अधिकारी
जैतारण (पत्नी)

वकील प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण की संयुक्त कृषि भूमि का राजीनामा अनुसार सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। लिहाजा विवादित आराजी का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जैतारण को अधिकृत किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-


अतः प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि राजस्व मौजा-लिलरिया, पटवार हल्का-आ०कालू-प्रथम, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 37 रकबा 27-07 बीघा किस्म चाही सोयम का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी / नेखमबन्दी करावें। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।


उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट
अटल सेवा केन्द्र-काणेचा में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज०)